रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2436] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 2016/आश्विन 14, 1938
No. 2436] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2016/ASVINA 14, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2016

का.आ. 3160(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139क और धारा 285 खक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (**26वां संशोधन**) नियम, 2016 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 114 घ में,—

   (i) उप-नियम (1) में खंड (I) में शब्द, कोष्ठकों और अक्षर "खंड (ख)" के स्थान पर शब्द, कोष्टक और अक्षर "खंड (क)" रखे जाएंगे ;

   (ii) उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

   "(4) आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), उपनियम (1) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट कथन के संबंध में आंकड़ों की सुरक्षित पकड़ और संचरण को सुनिश्चित करने, समुचित सुरक्षा, पुरा लेखीय और पुनः प्राप्ति नीतियों को विकसित करने या लागू करने के लिए प्रक्रिया आंकड़े संरचनाएं और मानदंड विनिर्दिष्ट करेंगे।"।

3. उक्त नियमों के, नियम 114ड. में उप-नियम 3 में, कोष्टकों, शब्दों और अक्षरों "(क्रम सं. 9 पर के व्यक्ति से भिन्न)" के स्थान पर कोष्टक, शब्द और अक्षर "(क्रम सं. 10 और क्रम सं. 11 पर के व्यक्तियों से भिन्न)" रखे जाएंगे ।

[अधिसूचना सं. 91 /2016/फा. सं. 370142/27/2016-टीपीएल]

डॉ. टी. एस. मपवाल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3150(अ) तारीख 05 अक्टूबर, 2016 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October 2016

S.O. 3160(E).—In exercise of the powers conferred by section 139A and section 285BA, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income–tax **(26th Amendment**) Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 114D,—

(i) in sub-rule (1), in clause (I), for the word, brackets and letter “clauses (b)”, the word, brackets and letter “clauses (a)” shall be substituted;

(ii) after sub-rule (3), the following shall be inserted, namely:—

“(4) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, data structures, and standards for ensuring secure capture and transmission of data, evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the statement referred to in sub-clause (i) of sub-rule (1).”.

3. In the said rules, in rule 114E, in sub-rule (3), for the brackets, words and number “(other than the person at Sl. No. 9)”, the brackets, words and numbers “(other than the persons at Sl.No.10 and Sl. No. 11)” shall be substituted.

[Notification No. 91 /2016/F. No. 370142/27/2016-TPL]

Dr. T. S. MAPWAL, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide notification S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification S.O. 3150(E), dated the 05th October, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.10.08 10:13:05 +05'30'